राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2811/2024

चुन्नी लाल सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर जोन, जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रामगढ़, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.09.2024

आदेश की दिनांक : 06.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि आदेश दिनांक 12.03.2024 में संशोधन करते हुये अपीलार्थी को अलवर जिले में नजदीकी स्थान पर पदस्थापन किया जावे और कार्यमुक्त आदेश दिनांक 20.06.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अलवर जिले में कार्यालय बीसीईओ रामगढ़, गोविन्दगढ़ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालय, धानेता, अलवर में रिक्त पद हैं, किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित करने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रामगढ, अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.02.2024 के द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 12.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रतापगढ पदस्थापित किया गया। जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को जिले के नजदीकी स्थान पर पदस्थापित किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की काउसिंलिग के आधार पर पदस्थापन करना चाहिये और विभाग दिव्यांग, विधवा, परित्यकता, एक्स सर्विस मैन एवं खिलाडी कोटे से लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि अपीलार्थी को जिला प्रतापगढ़ पदस्थापित किया गया है। जबकि अलवर जिले के कई कार्यालय में पद रिक्त हैं। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी गंभीर बीमारी से पीडित है, जिसका जयपुर में उपचार चल रहा है, जो अनुलग्नक–9 से प्रकट होता है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में कार्यरत है, जो अलवर जिले के रामगढ में पदस्थापित है। परिवार में अपीलार्थी ही अकेला सदस्य है जो देखरेख करने वाला है और अपीलार्थी के स्थानांतरण से पूरा परिवार प्रभावित होगा।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि आदेश दिनांक 12.03.2024 में संशोधन करते हुये अपीलार्थी को अलवर जिले में नजदीकी स्थान पर पदस्थापन किया जावे और कार्यमुक्त आदेश दिनांक 20.06.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अलवर जिले में कार्यालय बीसीईओ रामगढ़, गोविन्दगढ़ एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धानेता, अलवर में रिक्त पद हैं, किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित करने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रामगढ, अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.02.2024 के द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 12.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रतापगढ पदस्थापित किया गया। परंतु प्रकरण के वर्तमान परिस्थितियों एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)